संख्या-67/2023/I/318882/2023/001-71-2099-255-2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

के0जी0एम0यू0,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 में निर्माणाधीन-कार्डियोलॉजी के विस्तार संबंधी प्रायोजना को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक हास्पिटल एवं आफिस फर्नीचर के क्रय/स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-875/योजना अनु0/2023, दिनांक 21.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 में निर्माणाधीन-कार्डियोलॉजी के विस्तार संबंधी प्रायोजना को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक हास्पिटल एवं आफिस फर्नीचर के क्रय/स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में निर्माणाधीन-कार्डियोलॉजी के विस्तार सम्बन्धी प्रायोजना को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय के वृहद निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष के0जी0एम0यू0 के कार्डियोलॉजी के विस्तार हेतु अत्यन्त आवश्यक हॉस्पिटल एवं ऑफिस फर्नीचर के क्रय/स्थापना हेतु धनराशि रू0 24983820.00 + जी.एस.टी. (नियमानुसार देय) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 19737218.00 एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 5246602.00) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी फर्नीचर/उपकरण क्रय किये जायें। सभी फर्नीचर/उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी वित्तग अधिकारी/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।
2. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही फर्नीचर/उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3. प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब फर्नीचर/उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा कर ली जाये। स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
6. प्रस्तावित फर्नीचर/उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेंदारी विश्वविद्यालय/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष तथा कार्यदायी संस्था की होगी।
7. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट/आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कुलसचिव/वित्त नियंत्रक तथा कार्यदायी संस्था द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. जी.एस.टी.की देयता वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमन्य होगी। जी.एस.टी प्रतिपूर्ति का दावा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा।
11. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फर्नीचर/उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और फर्नीचर/उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. प्रोप्राइटरी श्रेणी के उपकरण के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. धनराशि को कोषागार से चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,97,37,218 (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख सैंतीस हजार दो सौ अठारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 52,46,602 (रुपये बावन लाख छियालीस हजार छह सौ दो मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-67/2023/1/318882/2023 /001-71-2099-255-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0,लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-67/2023/I/318882/2023/001-71-2099-255-2020, दिनांक 19.05 2023 का संलग्नक:-

Sl.no.	Name of furniture	Qty.	Rate	Amount
1	Over Bed Table	96	15000.00	1440000.00
2	Kick Bucket SS Bowl 304 Grade Steel	96	10000.00	960000.00
3	Revolving Stool with SS Top	96	8000.00	768000.00
4	Bed Side Screen 3 Panels Powder Coated (Curtain)	16	7000.00	112000.00
5	Medicine Trolley with Four Drawer SS	25	24500.00	612500.00
6	Multi Purpose Crash Card	25	54500.00	1362500.00
7	Soiled Linen Trolley	25	13500.00	337500.00
8	Dressing Trolley	25	24800.00	620000.00
9	Instrument Trolley 2 Shelf	25	21200.00	530000.00
10	Dressing Drum	30	3250.00	97500.00
11	Attendant Bed	66	13500.00	891000.00
12	X-Ray View Box Single Film	7	8900.00	62300.00
13	Emergency recovery trolley	2	91200.00	182400.00
14	Wheel Chair non Folding	30	11800.00	354000.00
15	Shoe or Slipper Rack open	20	10000.00	200000.00
16	Stretcher Trolley	25	17450.00	436250.00
17	I.C.U. Beds	96	81800.00	7852800.00
18	Bedside locker	66	8000.00	528000.00
19	Single Foot Step	66	5000.00	330000.00
20	Examination Couch	8	35500.00	284000.00
21	IV Rod	20	3490.00	69800.00
22	Cylinder Trolley	6	6880.00	41280.00
23	Dustbin-SS 12 ltr	50	2750.00	137500.00
24	Executive Table with Mobile Pedestal and Return Unit for Faculty	6	86800.00	520800.00
25	High back Revolving chair with central tilt height adjustment and Leatherite for Faculty	6	27500.00	165000.00
26	Visitor chair for Faculty	18	12800.00	230400.00
27	3 Seater Sofa for Faculty	6	29900.00	179400.00
28	Center Table	15	14500.00	217500.00
29	Powder Coated Almirah for Faculty	7	24500.00	171500.00
30	Filling Cabinet 4 Drawer	7	23900.00	167300.00
31	Executive Table with mobile Predestal and Return Unit for HOD Table	1	95800.00	95800.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

32	High back Revolving Chair with Central tilt height adjustment and leatherite for HOD	1	30450.00	30450.00
33	Letherite visitor chair for HOD	6	16800.00	100800.00
34	Sofa Set (3 seater) for HOD	2	35400.00	70800.00
35	Executive Back cabinet	1	75000.00	75000.00
36	Powder Coated Almirah	40	24500.00	980000.00
37	Slotted Angle steel rack	15	8900.00	133500.00
38	Conference chair revolving	40	13200.00	594000.00
39	Conference Table for 8 person	2	110000.00	550000.00
40	Single Bed	8	14980.00	119840.00
41	1 Seater Sofa for nurses	8	17500.00	140000.00
42	3 Seater Sofa nurses	8	24800.00	198400.00
43	Office Table	25	18000.00	450000.00
44	Office Chair Visitor	70	10000.00	700000.00
45	Waiting Area Chair 3 Seater	100	12800.00	1280000.00
			Total	**24983820.00**

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।